

सचिका सं०-17/कोर्ट-25/2010 -1571 (17)

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

आशिष कुमार  
सचिव (प०क०)

सेवा में,

सभी प्राचार्य,  
चिकित्सा महाविद्यालय, बिहार

विषय:-निश्चेतना विभाग के चिकित्सक-शिक्षकों की नियमित प्रोन्नति हेतु गोपनीय चारित्री, सेवाइतिहास एवं प्रभार प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में। पटना, दिनांक- ०२/११/१२

फैक्स/  
स्पीड पोस्ट प्रसंग:-विभागीय पत्रांक-1205(17) दिनांक-20.09.12


महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र का कृपया स्मरण करना चाहेंगे, जिसके द्वारा निश्चेतना विभाग के प्रोन्नति के विचार क्षेत्र में आने वाले चिकित्सक-शिक्षकों का अंकित वर्ष के अनुरूप अलग-अलग वर्षवार गोपनीय चारित्री, सेवाइतिहास की मांग की गई है जो अभी तक अप्राप्त है।


विदित है कि प्रस्तुत प्रोन्नति की कार्रवाई अवमाननावाद संख्या-1620/2009 डा० राजेन्द्र प्रसाद बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक-21.02.12 को पारित न्यायादेश से अच्छादित है।

पुनः विभागीय पत्रांक-1205(17) दिनांक-20.09.12 की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि पत्र में नामित चिकित्सक-शिक्षकों का अंकित वर्ष के अनुसार अलग-अलग वर्षवार गोपनीय चारित्री, पूर्ण सेवाइतिहास, कार्यकारी अधिसूचना, कार्यकारी प्रभार प्रतिवेदन आदि के साथ अनिवार्य रूप से तैयार कर 3 दिनों में अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निश्चित रूप से उपस्थित होने का कष्ट करेंगे।

विश्वासभाजन

  
(आशिष कुमार)  
सचिव (प०क०)

ज्ञापांक-17/कोर्ट-25/2010 -1571 (17) पटना, दिनांक ०२/११/१२  
प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव (प०क०)  
  
२१११